



2026:AHC: 3905

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - ए संख्या - 19549 वर्ष 2025

मोहित

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता :

शकील अहमद

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता :

सी.एस.सी., सिद्धार्थ सिंघल

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री शकील अहमद, राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री प्रशांत कुमार मिश्रा और आयोग की ओर से श्री सिद्धार्थ सिंघल को सुना गया।

2. याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि उसने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ द्वारा आयोजित चयन परीक्षा संख्या 8-परीक्षा-2022 में प्रतिभाग किया था। याचिकाकर्ता का दावा है कि उसने लिखित परीक्षा, टंकण (टाइपिंग) परीक्षा और साक्षात्कार उत्तीर्ण कर लिया है, हालांकि, उसे इस आधार पर नियुक्ति नहीं दी गई है कि उसके विरुद्ध बी.एन.एस. की धारा 85, 115(2), 352, 351(2), 351(3) के साथ पठित डी.पी. एक्ट की धारा 3/4 के तहत एक आपराधिक मामला संख्या 0049 वर्ष 2025 लंबित है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि उक्त मामला किसी भी तरह से याचिकाकर्ता के नियुक्ति पाने के अधिकार को नहीं छीन सकता, विशेषकर तब जब यह एक वैवाहिक विवाद है।

3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकर्ता के दावे पर प्रथम दृष्टया प्रतिवादी संख्या 2, प्रशासनिक निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ द्वारा निर्णय लिए जाने की आवश्यकता है।

4. अधिवक्ताओं द्वारा दी गई दलीलों पर विचार करते हुए, यह रिट याचिका याचिकाकर्ता को इस निर्देश के साथ निस्तारित की जाती है कि वह प्रतिवादी संख्या 2, प्रशासनिक निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ के समक्ष 22.01.2026 तक रिट अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत प्रत्यावेदन प्रस्तुत करें। इसके पश्चात, द्वितीय प्रतिवादी तीन महीने की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता के दावे पर निर्णय लेंगे।

5. उक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

7 जनवरी, 2026

राजेश